रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 218] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 31, 1990/भाद्र 9, 1912
No. 218] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 31, 1990/BHADRA 9, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1990

विषय : वर्ष 1991-93 के लिए उन देशों को परिधानों तथा निटवियर के संबंध में ओ जी एल-3 के अन्तर्गत निर्यात संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत जिन देशों में इस प्रकार के निर्यात को मात्रा प्रतिबन्ध के सहत कवर किया जाता है।

1. प्रस्तावना :

सं. 1/4/90-ई पी (टी एण्ड जे)-1 (अपैरल्स) :—संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा, ई ई सी, आस्ट्रिया, फिनलैण्ड, स्वीडन तथा नार्वे को सिले सिलाए परिधानों और निटवियरों के निर्यात के संबंध में ओ जी एल-3 में विहित उपबन्धों के अनुसरण में वर्ष 1991 से वर्ष 1993 तक के लिए हकदारी आवंटन नीति (जिसे इसके बाद आवंटन नीति कहा जाएगा) वह होगी जिसे इसके नीचे बताया गया है। किन्तु, वार्ताओं के चलते दौर के नतीजों और एम एफ ए, के भविष्य के आधार पर आवश्यकतानुसार इस नीति में संशोधन का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित है।

2. प्रशासन :

(i) जब तक अन्यथा निदेश न दिए जाएं, महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली ऊनी परिधानों तथा ऐसे एक्रीलिक निटवियरों को छोड़कर निर्यात हकदारी का आवंटन करेगा जो ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (डब्ल्यू एण्ड डब्ल्यू ई पी सी) के लिए समय-समय पर आरक्षित रहेंगे और जिनका आवंटन सचिव, ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया जाएगा। किन्तु, महानिदेशक अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद इस आवंटन नीति में कवर किए गए ऊनी तथा एक्रीलिक निटवियर सहित सभी सिले-सिलाए परिधानों तथा निटवियरों के निर्यात के संबंध में आवश्यक प्रमाणपत्र देगा।

(ii) उपरोक्त प्रयोजन के लिए महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद (ए ई पी सी) सचिव, ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (डब्ल्यू एण्ड डब्ल्यू ई पी सी) का अभिप्राय यह होगा और उसमें ए ई पी सी तथा डब्ल्यू एण्ड डब्ल्यू ई पी सी के ऐसे अन्य अधिकारी शामिल होंगे जिन्हें वे ऐसे कार्य तथा उत्तर-दायित्व अंशतः अथवा पूर्णतः स्थानांतरित अथवा अन्यथा प्रत्यायोजित करें।

(iii) महानिदेशक, ए ई पी सी तथा सचिव, डब्ल्यू एण्ड डब्ल्यू ई पी सी उनके द्वारा लागू किसी भी प्रत्यायोजन के होते हुए भी इस आवंटन नीति के कियान्वयन के लिए वस्त्र मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी होंगे।

(iv) वस्त्र मंत्रालय इस अधिसूचना के किन्हीं भी उपबंधों के निर्वचन के संबंध में अन्तिम प्राधिकारी होगा। वस्त्र मंत्रालय प्रशासन प्राधिकरणों, उनके कार्यों तथा दायित्वों के संबंध में समय-समय पर ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांत भी जारी कर सकेगा जैसा वह उचित समझे और वह ऐसे प्राधिकारियों को कार्यों तथा दायित्वों को अंशतः अथवा पूर्णतः पुनःआवंटित कर सकता है, जैसा कि वह उचित समझे।

(v) निर्यात हकदारियों का आवंटन केवल उन्हीं निर्यातकों को किया जाएगा जो आयात निर्यात नीति के अनुसार सक्षम पंजीकरण प्राधिकारियों के पास पंजीकृत हों।

3. आधार अवधि :

किसी वर्ष के लिए "आधार अवधि" वाक्यांश इस अधिसूचना में जहां कहीं आया हो, उसका अभिप्राय उन दो कैलेण्डर वर्षों से होगा जो आवंटन वर्ष से एकदम पहले आए हों। उदाहरणार्थ, वर्ष 1991 के लिए "आधार वर्ष" 1988 तथा 1989 के वर्ष होंगे।

4. आवंटन की प्रणाली :

(i) इस अधिसूचना की धारा 5 के अध्यधीन प्रत्येक आवंटन वर्ष में निर्यात हेतु मात्रा का आवंटन निम्नलिखित प्रणाली के अनुसार उनके सामने विनिर्दिष्ट दरों पर किया जाएगा :

प्रणाली	वार्षिक प्रतिशतता
(क) विगत कार्यनिष्पादन हकदारी (पी पी ई)	60
(ख) पहले आओ पहले पाओ (एफ सी एफ एस)	10
(ग) विनिर्माता निर्यातक हकदारी (एम ई ई)	18
(घ) सरकारी क्षेत्र हकदारी (पी एस ई)	2
(ङ) गैर-कोटा निर्यातक हकदारियां (एन क्यू ई)	10
योग	100

(ii) उपरोक्त के अलावा, अभ्यर्पणों, लोचणीलताओं, अथवा अन्यथा के परिणामस्वरूप समय-समय पर जो मात्रा उपलब्ध होगी उसका आवंटन भी पहले आओ पहले पाओ की प्रणाली के अन्तर्गत किया जाएगा।

(iii) मांग पैटर्न में परिवर्तनों तथा अन्य संगत कारणों को देखते हुए यदि वांछनीय समझा गया तो उपरोक्त से भिन्न हकदारियां आवंटित करने का अधिकार भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के पास सुरक्षित है।

5. भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, यह विनिश्चय कर सकता है कि यदि वह इस बात से सन्तुष्ट है कि पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के लिए या तो मूल आवंटन द्वारा अथवा अभ्यर्पण/लोचणीलता, आदि के कारण निर्धारित किसी भी मात्रा को अंशतः अथवा पूर्णतया किसी ऐसे दूसरी प्रणाली से आवंटित करेगा जैसा कि वह उचित समझे।

6. आवंटन

(i) आवंटन का उपयोग करने के लिए वर्ष को पी पी ई, एम ई ई, एन क्यू ई और पी एस ई के लिए वर्ष को दो अवधियों में बांट दिया जाएगा। पहली अवधि 1 जनवरी से 31 मई तक होगी। दूसरी अवधि 1 जून से 30 सितम्बर तक होगी। कम से कम 50 प्रतिशत आवंटनों का पहली अवधि के दौरान उपयोग किया जाएगा और शेष का दूसरी अवधि के दौरान, किसी भी हकदारी का अप्रयुक्त भाग धारा 14(i) और 16(iii) के अध्यधीन प्रत्येक अवधि के अन्त में स्वतः ही अभ्यर्पित हो जाएगा।

(ii) उपर्युक्त प्रणालियों में निर्धारित मात्राएं पहली अवधि में रिलीज की जाएंगी। ये मात्राएं पहली जनवरी को दी जाएंगी और इस कार्य के लिए महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद (डी.जी., ए.ई.पी.सी.) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान आवेदनपत्र आमंत्रित कर सकता है।

(iii) एफ सी एफ एस प्रणाली के तहत सम्पूर्ण मात्रा वर्ष के आरम्भ में उपयुक्त धारा 4(ii) के अध्यधीन दी जाएगी और इस कार्य के लिए महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान आवेदन पत्र आमंत्रित कर सकता है।

(iv) वस्त्र आयुक्त निटवीयर, बच्चों के कपड़े, ऊनी परिधान अथवा किसी अन्य भाग के लिए मात्राएं आरक्षित कर सकता है और धारा 13 के प्रावधानों के होते हुए भी ऐसी मात्राओं के लिए अलग से निम्नतम कीमत घोषित कर सकता है।

7. केवल निष्पादन हकदारी (पी पी ई) प्रणाली :

(i) महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद निम्नलिखित आधार पर पी पी ई का परिकलन करेगा।

(ii) उपलब्ध स्तरों का आवंटन आवेदन कर्ताओं द्वारा प्रत्येक देश/श्रेणी में आधार अवधि के दौरान किये गये निर्यात के मूल्य के आधार पर यथानुपात किया जाएगा। तथापि आवंटन को आधार अवधि के दौरान उक्त देश/श्रेणी में भारत के वार्षिक औसत निर्यात निष्पादन की सीमा तक प्रतिबन्धित कर दिया जाएगा।

(iii) पी पी ई की मूल वैधता अवधि के दौरान पी पी ई को पूर्णतया या अंशतः हस्तान्तरित किया जा सकता है।

(iv) हस्तान्तरित पी पी ई (जिसे इसके बाद पी पी टी कहा जाएगा) उस आवंटन अवधि के लिए वैध होगा, जिसमें हस्तान्तरण लागू हुआ है।

(v) पी पी टी की वैधता इसके बाद धारा 14(ii) और 16(iii) में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन बढ़ाई जाएगी।

(vi) पी पी टी के आधार पर पोत लदानों की गणना अन्तरणकर्ता द्वारा किये गये निर्यात के रूप में की जाएगी।

(vii) पी पी टी के अन्तरण की अनुमति नहीं है;

8. पहले आओ पहले पाओ (एफ सी एफ एस) प्रणाली

(i) आवेदन की तारीख को वैध एल सी द्वारा समर्थित आवेदनपत्रों पर मात्राएं पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटित की जाएंगी।

(ii) वस्त्र आयुक्त इस प्रणाली के तहत प्रतिदिन प्रत्येक देश/श्रेणी के लिए प्रत्येक आवेदनकर्ता द्वारा आवेदित की जा सकने वाली अधिकतम मात्रा निर्धारित करेगा। ऐसी अधिकतम मात्रा सामान्यतः प्रत्येक देश/श्रेणी के लिए इस प्रणाली के तहत आवंटन के लिए निर्धारित स्तर का 1% होगी। परन्तु जिन मामलों में ऐसे निर्धारित स्तर या तो बहुत कम है या बहुत अधिक हैं, उन मामलों में यह मात्रा प्रतिदिन प्रति आवेदनकर्ता 3000 मदद से कम या 25000 मदद से अधिक नहीं होगी।

(iii) इस प्रणाली के तहत आवंटन 60 दिनों की अवधि के लिए वैध होगा, परन्तु धारा 15(ii) के अध्यधीन आवंटन वर्ष के 31 दिसम्बर बाद नहीं।

(iv) आवंटन एफ सी एफ एस आधार पर किए जाएंगे और जिस दिन उपलब्ध मात्राओं से मांगें अधिक आ जाएंगी, पात्रता का निर्णय उस दिन प्राप्त आवेदन पत्रों में से अधिक इकाई मूल्य वसूली के आधार पर किया जाएगा।

(5) एफ सी एफ एस हस्तांतरणीय नहीं है।

9. विनिर्माता निर्यातक हकदारी (एम ई ई) प्रणाली

(i) विनिर्माता निर्यातक की पात्रता एवं उत्पादन क्षमता निर्धारित करने वाला प्राधिकारी वस्त्र आयुक्त होगा;

(ii) इस प्रणाली के तहत आबंटन की पात्रता के लिए विनिर्माता निर्यातक का न्यूनतम निर्यात निष्पादन उस आधार अवधि के दौरान कम से कम 20 लाख रुपए प्रति वर्ष होना चाहिए, जिसमें उसका उत्पादन एकक दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए अस्तित्व में हो। परन्तु इन दो वर्षों की अवधि के अन्दर जब स्थापित उत्पादन एककों के मामले में न्यूनतम निर्यात निष्पादन की शर्त लागू नहीं होगी।

(iii) एम ई ई के तहत आबंटन की पात्रता के लिए किसी निर्यातक के संबंध में सिलाई मशीनों और कामगारों के अनुसार न्यूनतम क्षमता का निर्धारण वस्त्र आयुक्त करेगा। संबंधित क्षमता का निर्धारण करते समय वस्त्र आयुक्त अन्य संस्थापित मशीनों को भी समुचित महत्व देगा। वस्त्र आयुक्त कामगारों की संख्या और संस्थापित मशीनों के बीच उचित सह-संबंधों के प्रति भी स्वयं संतुष्ट होगा।

(iv) एम ई ई के तहत केवल विनिर्माता निर्यातक की फैक्टरी में विनिर्मित माल के संदर्भ में आबंटन होता है। अन्यत्र, जिसमें लीज में ली गई फैक्टरियां भी शामिल हैं, विनिर्मित माल एम ई ई के लिए पात्र नहीं होगा।

(v) उपलब्ध मात्रा का वितरण महानिदेशक, अपेरेल निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा पात्र आवेदनकर्ताओं की ऐसी उत्पादन क्षमता के आधार पर यथानुपात किया जाएगा जिसका निर्णय वस्त्र आयुक्त द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक आवेदनकर्ता उक्त आबंटन के लिए अधिकतम पन्द्रह देश/श्रेणियां चुन सकता है।

(vi) जब यह देखा जाएगा कि एक देश/श्रेणी के लिए एक या अधिक विनिर्माता-निर्यातक को आबंटित मात्रा बहुत थोड़ी है (वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार), तब महानिदेशक अपेरेल निर्यात संवर्धन परिषद् इन मात्राओं को इस तरीके से पुनः आबंटित करेगा कि प्रत्येक आवेदनकर्ता को आबंटित मात्रा काफी न्यायसंगत है।

(vii) किसी विनिर्माता निर्यातक के लिए, जिसकी पी.पी.ई. के अंतर्गत भी हकदारी है, पी.पी.ई. और एम.ई.ई. के तहत कुल आबंटन की मात्रा आधार अवधि* के दौरान उसके द्वारा निर्यातित मदों की वार्षिक औसत सं. के 125% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

*उपर्युक्त अवधि में उनके द्वारा वसूल किया गया यूनिट मूल्य

उपर्युक्त अवधि में भारत द्वारा वसूल किया गया औसत यूनिट मूल्य।

नए एम.ई.ई. धारकों को आबंटित मात्रा मौजूद पी.पी.ई. धारकों को एम.ई.ई. के अंतर्गत आबंटित मात्राओं के समान ही होगी।

(viii) एम.ई.ई. अहस्तांतरणीय है। किसी विशेष वर्ष में एक यूनिट को एम.ई.ई. के आबंटन से पहले मालिक/प्रबंध साझेदार/प्रबंध निदेशक को इस उद्देश्य का शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए कि (क) पिछले वर्ष के दौरान प्रयुक्त की गई एम.ई.ई. यदि कोई हो, का प्रयोग उन्हीं वस्तुओं के निर्माण के लिए किया गया है जिनके लिए उनके स्वामित्व वाले यूनिटों को एम.ई.ई. का आबंटन किया गया हो (ख) वास्तव में उनके स्वामित्व वाले यूनिटों में अब उनको आबंटित की जाने वाली उनकी हकदारी के लिए वह वस्तुओं का निर्माण करेगा। प्रमाणीकरण आवेदनपत्र के साथ वह इस आशय का एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा कि इस समय निर्यात की जा रही वस्तुओं का निर्माण उन्हीं यूनिटों में हुआ है।

(ix) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रणाली के तहत आबंटन असली निर्माताओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं संस्थापित क्षमताओं की जांच की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वस्त्र आयुक्त इस प्रणाली के अंतर्गत आबंटन में पात्र आवेदकों के सभी यूनिटों का नीति अवधि के दौरान कम से कम एक बार अधिकारियों के दल से निरीक्षण करवाएंगे। नए एककों जो इस प्रणाली के अंतर्गत आबंटन से पहले दो वर्षों के भीतर स्थापित किए गए हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निरीक्षण किया जाना चाहिए।

(x) इस प्रणाली के अंतर्गत किए गए आबंटन के तहत किये गये निर्यातों के मामले में लागू निम्नतम निर्धारित कीमतों (फ्लोर प्राइसेस) वस्त्र आयुक्त द्वारा घोषित सामान्य निम्नतम निर्धारित कीमतों से 10 प्रतिशत अधिक होंगी।

10. सरकारी क्षेत्र हकदारी (पी एस ई) प्रणाली

(i) केन्द्रीय/राज्य सरकारों और केन्द्रीय/राज्य स्तर की शीर्ष सहकारी समितियों के नियंत्रणाधीन निगमों के लिए 2% का आबंटन होगा।

(ii) इस प्रणाली के अंतर्गत आबंटनों के लिए निगम/सहकारी समिति की पात्रता के लिए मापदंड वही होगा जैसा कि उपर्युक्त खंड 9 में दिया गया है। आबंटन की क्रियाविधि वही होगी जो एम.ई.ई. प्रणालियों के लिए विहित है।

(iii) विनिर्माण क्रियाकलाप को इस प्रकार के जी.एस.ई. धारक के प्राधिकृत क्षेत्रों तक भौगोलिक दृष्टि से सीमित करना होगा।

11. गैर-कोटा हकदारी प्रणाली

(i) गैर कोटा देशों को परिधानों तथा कोटा देशों को गैर-कोटा मदों के निर्यातक इस प्रणाली के तहत पात्र तभी होंगे बशर्ते कि भुगतान की करेंसी में किया गया हो और निर्यातक का आधार अवधि के दौरान कम से कम 30 लाख रु. का निर्यात निष्पादन हुआ हो। इस स्तर का 50% भाग आउट देशों को किये जाने वाले निर्यात के लिए आरक्षित होगा। आउट देश होंगे जापान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, स्विटजरलैण्ड, मैक्सिको, अर्जेन्टीना और पेरू।

(ii) इस प्रणाली के अंतर्गत आधार अवधि के दौरान हकदारी निर्यात के मूल्य के आधार पर परिकलित की जाएगी और उपलब्ध स्तर अलग-अलग आवेदकों के निर्यात के मूल्य के आधार पर यथानुपात वितरित किये जाएंगे।

(iii) आबंटन के लिए किसी निर्यातक को 15 देशों/श्रेणियों के समूह का चयन करने की अनुमति दी जाएगी।

(iv) एक क्रेश होल्ड स्तर होगा जिसे निर्यातक को आबंटित किया जाएगा जैसा कि एम.ई.ई. के मामले में होता है।

(v) पी.पी.ई. को अब तक लागू शर्तें एन.क्यू.ई. को भी लागू होंगी।

(vi) एन. क्यू. ई. हस्तांतरणीय है जिसका (इसके बाद में एन.क्यू.टी. के रूप में उल्लेख किया जाएगा) और अंतरण की शर्तें वही होंगी जो पी.पी.ई. के मामले में है। एन. क्यू.टी. हस्तांतरणीय नहीं है।

12. कम व्यापार वाली मदें

(i) वह वस्तु कम व्यापार वाली घोषित की जाएगी यदि प्रत्येक आधार अवधि में उसका उपयोग संगत वर्षों में आधार स्तर के 75% से कम हो। महानिदेशक ए.ई.पी.सी. अधिक से अधिक पिछले वर्ष के एक दिसंबर तक कम व्यापार वाली वस्तुओं के रूप में घोषित करेंगे।

(ii) इस अभिसूचना के किसी भी उपबंध में दी गई किसी अन्य बात के होते हुए कम व्यापार वाली वस्तुओं के लिए निम्नलिखित छूट दी जाएगी :

(क) एफ. सी. एफ. एस. के तहत अनिवार्य शपथपत्र के लिए कोई अनुबंध नहीं होगा।

(ख) उपर्युक्त पैरा 8 द्वारा एक्सीएफएस के लिए अनुबंधित मात्रात्मक सीमा लागू नहीं होगी।

(iii) उपर्युक्त रियायतों में से किसी को भी चालू मांग पैटर्न के आधार पर वस्त्र आयुक्त द्वारा बिना अग्रिम नोटिस दिए वापस लिया जा सकता है।

13. न्यूनतम कीमतें :

(i) वस्त्र आयुक्त द्वारा प्रत्येक देश/श्रेणी के लिए सामान्यतया एक ही न्यूनतम कीमत निर्धारित की जाएगी।

(ii) न्यूनतम कीमत निर्धारित करते समय आधार अवधि के दौरान वसूल किया यूनिट मूल्य और विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को भी ध्यान में रखा जाएगा।

14. नौवहन बिल के संबंध में प्रमाणीकरण की वैधता अवधि :—

(i) नौवहन बिल पर महानिदेशक, ए ई पी सी द्वारा प्रमाणीकरण की वैधता अवधि वही होगी जो संगत हकदारी की वैधता की अवधि होगी।

(ii) आवंटन की सभी प्रणालियों में प्रमाणीकरण की वैधता में 30 दिन की समयावधि वृद्धि, एफ ओ बी मूल्य का 15 प्रतिशत का अतिरिक्त ई एम डी/बी जी ए ई पी सी को प्रस्तुत करके अगले 30 दिनों के लिए अगले 15% का और अतिरिक्त ई एम डी/बीजी द्वारा प्राप्त की जा सकती है और वह हर हालत में 31 दिसंबर से अधिक नहीं होगी।

(iii) महानिदेशक ए ई पी सी इस प्रकार की समय वृद्धियां देने के लिए सक्षम होगा।

(iv) उपर्युक्त के अतिरिक्त और कोई वृद्धियां नहीं दी जाएंगी।

15. हथकरघा परिधान

हथकरघा परिधानों के लिए आरक्षित विशेष मात्राओं का आवंटन कुछेक देशों के लिए 90 : 10 के आधार पर एफ सी एफ एस और पी एस ई के तहत किया जाएगा।

16. ई एम डी/बी जी अपवर्तन :

(i) पीपीई, एम ईई, एनक्यूई और पी एस ई प्रणालियों के मामले में हकदारी की मूल वैधता अवधि के दौरान ई एम डी/बी जी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) एफ सी एफ एस प्रणाली के मामले में निर्यातक को आवंटित मात्राओं पर एफ ओ बी मूल्य के 5% की दर से ई एम डी/बी जी देना आवश्यक होगा।

(iii) ई पी ई, एम ईई, एन क्यू ई और पी एस ई की वैधता सामान्यतः खंड 6(1) के अनुसार होगी। तथापि, पी पी टी और एन क्यू टी सहित उपर्युक्त प्रणालियों में दूसरी अवधि के लिए निर्धारित की गई मात्रा की वैधता को एफ ओ बी मूल्य के 20% की दर से ई एम डी बी जी के साथ ऋण पत्र के लिए 31 दिसंबर तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) जो निर्यातक एफसीएफएस पीटी, एनक्यूटी के अंतर्गत किसी विशेष अवधि में, या पीपीटी, एम ई ई एन क्यू टी या पी एस ई को मिलाकर एन क्यू ई सहित पीपीई के लिए उपर्युक्त पैरा (3) में निर्धारित पुनर्वैधीकरण अवधि के दौरान निर्यात हकदारी के 95% से कम निर्यात करता है, तो जैसी कि शर्त है, इसके बाद उसकी ई एम डी/बी जी जब्त हो जाएगी। उपयोगिता गिरावट के अनुपात में अधिक कारोबार वाली मदों के मामले में 75% तथा कम कारोबार वाली मदों के मामलों में 50% तक उपयोग के मामले में बीजी ए ई पी सी, ई एम डी/बी जी को जब्त कर लेगा। यदि निर्यात हकदारी आवंटन का उपयोग उपर्युक्त से कम है तो, ई एम डी/बी जी पूर्ण रूप से जब्त कर ली जाएगी। इस उद्देश्य के लिए उपयोगीकरण को प्रत्येक अवधि के लिए और प्रत्येक प्रणाली के आधार पर अलग-अलग परिकलित किया जाएगा। वैधता प्रमाणन की अवधि बढ़ाने के मामले में उपयोग का प्रतिशत प्रत्येक बढ़ाई गई प्रमाणन वैधता के लिए अलग-अलग परिकलित किया जाएगा।

(v) सभी जब्त ई एम डी/बी जी को सरकार के पी. डी. खाते में जमा कर दिया जायेगा और उसका प्रचालन इस प्रकार होगा जैसा सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे।

(vi) वे व्यक्ति जिन्हें निर्यात हकदारियां आवंटित की जाती हैं परन्तु जो उनका पूर्णतया उपयोग नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ चल रही किसी कार्यवाही के संबंध में बिना किसी पूर्वाग्रह के भविष्य में हकदारी प्राप्त करने के लिए अयोग्य हो जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(vii) समय वृद्धि के लिए सभी तरह से पूर्ण आवेदन पत्र मूल हकदारी की वैधता अवधि समाप्त होने से पहले जमा कर दिए जायेंगे।

17. ई एम डी/बी जी की जब्ती के खिलाफ अपील.

ऊपर पैरा (16)(iv) के अंतर्गत बीजी, एईपीसी द्वारा जब्ती के आदेश से प्रभावित कोई भी निर्यातक, ऐसा पत्राचार प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर-अन्दर ऐसी जब्ती के खिलाफ वस्त्र आयुक्त, बम्बई के समक्ष अपील कर सकता है। वस्त्र आयुक्त अभ्यावेदन प्राप्त करने के पश्चात् यथा शीघ्र एक निर्णय आदेश देगा। अपीलों का निपटारा करते समय प्रभावी प्रमुख शर्तों को ध्यान में रखेगा। वह हकदारी की वैधता के दौरान उपयोग न की गयी हकदारियों को सौंपने में तत्परता पर भी विचार करेंगे। इस उद्देश्य के लिए वह आयुक्त स्वयं द्वारा मनोनीत अधिकारियों को शामिल कर सकता है, और उन्हें माध्यम बना सकते हैं।

18. सीमाशुल्क द्वारा क्लियरेंस

(क) संयुक्त राज्य अमेरिका में विशेष सीमाओं के अंतर्गत न आने वाली मदों सहित समाप्ति प्रतिबंधाधीन उत्पाद। पोतलदान, पत्तन पर सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा पोतलदान की अनुमति, मूल रूप में निर्यात हकदारी प्रमाणन और अलग-अलग खेपों के लिए ए ई पी सी द्वारा जारी पोत परिवहन बिल की अनुलिपि के सत्यापन के बाद ही दी जाएगी।

(ख) हथकरघा परिधान

मिली हुई खादरदार कमीज जो कनाडा में प्रतिबंधित नहीं हैं, आस्ट्रिया की सूती हथकरघा परिधान, यू.एस.ए., ई ई सी, नार्वे, फिनलैंड में कुछ प्रतिबंधित श्रेणियों के हथकरघा परिधानों के लिए आरक्षित विशेष मात्रा को छोड़कर सभी हथकरघा वस्त्रों के निर्यात के लिए पोतलदान की अनुमति सीमाशुल्क अधिकारी वास्तविक फार्म के पैरा 2 में वस्त्र समिति द्वारा निरीक्षण मूल्यांकन के आधार पर देंगे।

भारतीय मदों के अंतर्गत आने वाले परिधान

भारतीय मदों, जो भारत के परम्परागत लोककृति के हस्तशिल्प वस्त्र उत्पाद हैं, के सम्बन्ध में ई ई सी, यू.एस.ए., फिनलैंड, आस्ट्रिया, स्वीडन, नार्वे और कनाडा के निर्यात के लिए पोतलदान की अनुमति सीमाशुल्क अधिकारी विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय द्वारा जारी उपयुक्त प्रमाणपत्रों के आधार पर देंगे।

(ग) निर्यात प्रमाणपत्र, उद्गम प्रमाणपत्र और वीसा :—

संगत द्विपक्षीय वस्त्र करारों के अंतर्गत अपेक्षित निम्नलिखित प्रमाणपत्र एईपीसी या उसकी ओर से विधिवत प्राधिकृत अन्य एजेन्सी द्वारा जारी किए जायेंगे :

(1) ई ई सी	(क) प्रतिबंधाधीन सभी परिधानों/निटवियर मदों के लिए निर्यात प्रमाणपत्र और उद्गम प्रमाणपत्र।
	(ख) सभी गैर प्रतिबंधित परिधानों/निटवियर मदों के लिए उद्गम प्रमाणपत्र।
(2) फिनलैण्ड	प्रतिबंधित मदों के लिए निर्यात प्रमाणपत्र।
(3) स्वीडन	प्रतिबंधित मदों के लिए निर्यात प्रमाणपत्र।

(4) आस्ट्रिया	प्रतिबंधित निगरानी के अधीन परिधानों के लिए निर्यात प्रमाणपत्र।
(5) नार्वे	विशेष सीमाओं के अधीन श्रेणियों के बारे में निर्यात प्रमाणपत्र और उद्गम प्रमाणपत्र।
(6) कनाडा	निटेड, पावरलूम और मिश्रित उद्गम वाले परिधानों के लिए निर्यात प्रमाणपत्र। 500 कैनेडियन डालर या कम मूल्य की खेप को छोड़कर, शेष प्रतिबंधाधीन हैं।
(7) यू.एस.ए.	250 अमरीकी डालर से अधिक मूल्य की खेप वाले सभी परिधान निटवियर के लिए वीसा।

(ख) हथकरघा प्रमाणपत्र

कनाडा में प्रतिबंधित मद किसी भी सिलाई कलन्दार कमीज, आस्ट्रिया के लिए सूती हथकरघा परिधान तथा ईईसी, नार्वे और फिनलैण्ड में कुछ प्रतिबंधित श्रेणियों में हथकरघा परिधानों के लिए आरक्षित विशेष मात्राओं को छोड़कर सभी हथकरघा परिधानों के निर्यात के बारे में वस्त्र समिति ऐसे उत्पादों के लिए द्विपक्षीय करारों में निर्धारित प्रमाणपत्र जारी करेगी।

20. सरकार को किसी भी पूर्ववर्ती प्रावधान में बिना किसी सूचना के संशोधन करने का अधिकार होगा।

पा. शंकर, संयुक्त सचिव,
वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 1990

Subject:—Guidelines for Export under OGL-3 in respect of garments and knitwear to countries where such exports are covered under quantitative restraints for the calendar year's 1991-93.

1. Introduction :

No. 1|4|90 -EP(T&J)I (Apparels).—Pursuant to provisions contained in OGL-3 in respect of export of readymade garments and knitwear to USA, Canada, EEC, Austria, Finland, Sweden and Norway, the Policy for Allotment of Entitlements (hereinafter referred to as the Allotment Policy) for the year 1991 to 1993 shall be as hereinafter detailed. However, depending upon them outcome of the Uruguay Round of Negotiations and the future of MFA, Government reserves the right to amend the policy as necessary.

2. Administration :

(i) Unless otherwise directed, the Director General Apparels Export Promotion Council, New Delhi shall allocate export entitlement except for woollen apparels and such acrylic knitwears reserved from time to time for W&WEPC where allocation shall be made by the Secretary W&WEPC. However DG, AEPC shall do the necessary certification for all export of readymade garments and knitwear including woollen and acrylic knitwear covered in this Allotment Policy.

(ii) For the purpose of the above, the Director General of AEPC and W&WEPC shall mean and include such other officials of AEPC and W&WEPC to whom they expressly or otherwise delegate part or whole of such functions and responsibilities.

(iii) The Director General, AEPC and the Secretary, W&WEPC notwithstanding any delegations effected by them shall be accountable to the Ministry of Textiles for implementation of the allotment policy.

(iv) The Ministry of Textiles shall be the final authority regarding interpretation of any of the provisions of this notification. The Ministry of Textiles may also issue such guidelines as it deems fit from time to time regarding agencies of administration, their functions and responsibilities and may reallocate part or whole of the functions and responsibilities to such authorities as it deems fit.

(v) Export entitlements will be allotted only to exporters registered with the competent registering authorities as per Import-Export Policy.

3. Base Period :

The phrase "base period" for an allotment year, wherever appearing in this notification, shall mean the two calendar years preceding the year immediately before that allotment year. For example, the "base period" for the year 1991 shall be the years 1988 and 1989.

4. Systems of Allotment :

(i) Subject to clause 5 of this notification, quantities for export in each allotment year shall be allocated according to the following systems at rates indicated against each of them:-

System	Percentage of Annual lever
(a) Past Performance Entitlement (PPE)	60
(b) First-come-First served (FCFS)	10
(c) Manufacturer Exporter Entitlement (MEE)	18
(d) Public Sector Entitlement (PSE)	2
(e) Non quota Exporters Entitlements (NQE)	10
Total	100
(b) First-come-First served	10

(ii) Apart from the above, quantities that become available from time to time on account of surrenders, flexibilities or otherwise shall also be allocated under FCFS system.

(iii) Government of India in the Ministry of Textiles reserves the right to allocate entitlements in variation with the above in case if is considered so desirable, in view of changes in demand pattern and other relevant consideration.

5. Government of India in the Ministry of Textiles may decide, if so satisfied, that part or whole of any of the quantities earmarked for FCFS either by way of original allocation or on account of surrender/flexibilities etc. shall be allotted in such other manner as it deems fit.

6. Allotments :

(i) For the purpose of utilisation of allotment the year shall be divided into two periods for PPE, MEE? NQE and PSE. The first period shall be from 1st January to 31st May. The second period shall be from 1st June to 30th Sept. A minimum of 50 per cent of the allotments for the year should be utilised during the first period and the balance during the second period. The unutilised portion of any entitlement shall stand automatically surrendered at the end of each period subject to clause 14(ii) and 16 (iii).

(ii) The quantities earmarked in the above systems shall be released in the first period. The quantities shall be opened on 1st January and for this purpose DG. AEPC may invite applications during the previous year.

(iii) The entire quantity under FCFS system shall be opened at the beginning of the year (subject to clause 4(ii) above) and for this purpose DG, AEPC may invite applications during the previous year.

(iv) Textiles Commissione may reserve quantities for knitwear, children's wear, woollen garments, or any other segment and may announce separate floor prices for such quantities notwithstanding the provisions in clause 13(i).

7. Past Performance Entitlement (PPE) System :

(i) The DG, AEPC shall compute PPE on the following basis.

(ii) Available levels will be allotted pro-rata on the basis of the value of exports during the base period by the applicants in each country/category. Allotments, however, will be restricted to the annual average export performance of India in the country/category during the base period.

(iii) PPE shall be transferable, either in full or in part, during the period of original validity of the PPE.

(iv) A transferred PPE (hereinafter referred to as PPT) shall be valid for the allotment period in which the transfer is effected.

(v) Extension of validity of PPT shall be subject to conditions enumerated hereinafter at Clause 14(ii) and 16(iii).

(vi) Shipments against PPT will be counted as exports by the transferee.

(vii) Transfer of a PPT is not allowed.

8. First-Come-First-Served-FCFS) System :

(i) Quantities shall be allocated on First-Come-First-Served basis against applications supported by L.C.s valid on the date of application.

(ii) Textile Commissioner will fix the maximum quantity that can be applied by any applicant for each country/category under this system per day. Such maximum quantity will be ordinarily 1% of the level earmarked for allocation under this system for each country/category. However, in cases where such earmarked levels are either too low or too high, the quantity in such cases will not be less than 3,000 pieces or more than 25,000 pcs per applicant per day.

(iii) Allotment under this system shall be valid for a period of 60 days, but not beyond 31st December of the allotment year subject to clause 14(ii).

(iv) Allotments shall be granted on FCFS basis, and on a day when available quantities are oversubscribed, eligibility shall be decided on the basis of higher unit value realisation among the applications received on the day.

(v) FCFS is not transferable.

9. Manufacturer Exporter Entitlement (MEE) System;

(i) The Textile Commissioner shall be the authority for deciding the eligibility and production capacity of a Manufacturer Exporter.

(ii) For Manufacturer-Exporter to be eligible for allotment under this System, he shall have a minimum export performance of at least Rs. 20 lakhs per year during the base period, where his production unit has been in existence for two years or more. However, in the case of production units newly established within this period of two years, the condition of minimum export performance shall not be enforced.

(iii) The Textile Commissioner shall prescribe the minimum capacity in terms of sewing machines and workers for an exporter to be eligible for allotment under MEE. While assessing relative capacity, Textile Commissioner shall also give due weightage to other machines installed. The Textile Commissioner will also satisfy himself about a reasonable correlation between the number of workers and machines installed.

(iv) The allotment under MEE is in respect of goods manufactured in the factory of the owner only. Goods manufactured elsewhere including factories under leasehold shall not be eligible for MEE.

(v) Available quantities will be distributed by DG, AEPC pro-rate on the basis of production capacity of eligible applicants as decided by the Textiles Commissioner. Each applicant may opt for a maximum of fifteen country/categories for the above allotment.

(vi) When it is observed that quantity allotted to one or more of Manufacturer-Exporters for a country/category is too small (as decided by Textile Commissioner) the D.G., AEPC shall reallocate these quantities in such a manner that the quantity allotted to each of the applicants is reasonable enough.

(vii) The total allocation under PPE and MEE for a Manufacturer Exporter who also has entitlements under PPE shall not exceed 125% of Annual Average no. of pieces exported by him during the base period*.

* Unit value realised by him in the above period

Avg. unit value realised by India in the above period The quantity allotted to new MEE holder shall be equitable with the quantities allotted under MEE to existing RPE holders.

(viii) MEE is not transferable. Before allocation of MEE to a unit in particular year, the Proprietor/Managing Partner/Managing Director shall be asked to submit an affidavit to the effect that (a) the MEE utilised during the previous year, if any, was for goods physically manufactured by the units owned by him against which the MEE had been allotted and (b) he shall manufacture the goods for entitlement to be allotted now to him in units physically owned by him. Along with the certification application, he shall submit an affidavit that the goods presently being exported have been manufactured in the same units.

(ix) In order to ensure that allotments under this system are availed by genuine manufacturers the Textile Commissioner shall cause all the units of applicants held eligible for allotment under this system inspected by a team of officers at least once during the policy period, with a view to verifying the installed capacities. New unit i.e. those set up within two years prior to the allotment under this system, shall be inspected on a priority basis.

(x) In the case of exports against allotments under this system, the floor prices applicable will be 10% higher than general floor prices announced by the Textile Commissioner.

10. Public Sector Entitlement (PSE) System :

(i) For Corporations under the control of Central/State Govts. and Apex Cooperatives of Central/State level, there shall be an allocation of 2%.

(ii) The criteria for eligibility of a Corporation/Cooperative for allotments under this system would be the same as stipulated in clause 9 above. The procedure for allotment will also be the same as stipulated for MEE systems. PSE is not transferable.

(iii) The manufacturing activity shall have to be geographically limited to the authorised areas of operation of such PSE holder.

11. Non-Quota Entitlement System :

(i) Exporters of apparels to Non-quota countries and non-quota items to quota countries shall be eligible under this system provided the payment is received in free currency, and the exporter has a minimum export performance of Rs. 30 lacs during the base period. 50% of this level be reserved for exports to thrust countries viz., Japan, Australia, New Zealand, Switzerland, Mexico, Brazil, Agrentina Peru.

(ii) Entitlement under this system shall be calculated on the basis of value of exports during base period and the levels available will be distributed pro-rata on the basis of the value of exports of individual applicants.

(iii) An exporter shall be permitted a choice of 15 countries/categories combination for allotment.

(iv) There shall be a threshold level that can be allotted to an exporter, as in the case of MEE.

(v) Conditions applicable to PPE so far as may be shall be applicable for NQE also.

(vi) NQE is transferable (hereinafter referred to as NOT) and the conditions of transfer shall be same as in case of PPE. NQT is not transferable.

12. Slow moving items :

(i) An item shall be declared to be slow-moving if during each of the years of the base period, its utilisation has been less than 75% of the base level for the corresponding years. The Director General, AEPC shall declare the items that are slow moving latest by 1st December of the previous year.

(ii) Notwithstanding anything else contained in any of the provisions of this notification, the following relaxations shall ordinarily be available for a slow-moving items :—

(a) There shall be no stipulation for compulsory Letter of Credit under FCFS.

(b) The exporter will have to furnish 1% EMD/BG instead of the rates stipulated for other categories under FCFS.

(c) The quantitative ceiling stipulated for FCFS vide para 8 above shall not be enforced.

(iii) Any of the above relaxations may be withdrawn without advance notice by the Textiles Commissioner on the basis of current demand pattern.

13. Floor Prices :

(i) Ordinarily there shall be only one floor price for each country/category to be fixed by the Textiles Commissioner.

(ii) While fixing floor price, the average unit value realisation during the base period and the fluctuation in exchange rate shall be taken into consideration.

14. Validity Period of Certification on Shipping Bill :

(i) The validity period of a certification by DG, AEPC on a shipping bill shall be the same as the validity of the relevant entitlement.

(ii) In all systems of allotment extension of the validity period of certification can be obtained for 30 days by furnishing to AEPC an additional EMD/BG of 15 per cent of the F.O.B. value; and for another

30 days by further additional EMD/BG of 15 per cent and in any case not beyond 31st December.

(iii) The DG, AEPC shall be competent to grant such extensions.

(iv) There shall be no extensions save as provided above.

15. Handloom Garments :

Special quantities reserved for handloom garments for certain countries will be allotted under FCFS and PSE on 90 : 10 basis.

16. EMD/BG/Forfeiture :

(i) In case of FPE, MEE, NQE and PSE systems, exporters will not be required to furnish EMD/BG during the original validity of the entitlement.

(ii) In case of FCFS system, an exporter shall be required to give EMD/BG at the rate of 5 per cent of the F.O.B. value on the quantities applied for.

(iii) The validity of PPE, MEE, NQE and PSE shall be normally as per clause 6(i). Validity of the quantity earmarked for the second period, in the above systems including PPT and NQT however, can be extended upto 31st December against Letter of Credit accompanied by EMD/BG at the rate of 20 per cent of FOB value.

(iv) The EMD/BG of an exporter who exports less than 95 per cent of the export entitlement in a particular period under FCFS, PPT, NQT, or during the revalidation period mentioned at para (iii) above for PPE including PPT, MEE, NQE including NQT or PSE shall be forfeited as hereinafter provided. The DG, AEPC shall forfeit the EMD/BG in case utilisation is upto 75 per cent in case of fast moving items and upto 50 per cent in case of slow moving items proportionate to the short-fall in utilisation. If utilisation of export entitlement allocation is less than the above, the EMD/BG shall be forfeited in full. For this purpose utilisation shall be computed on the basis of each system and each period separately. In case of extention of validity certification the percentage utilisation shall be computed separately for each certificatios validity extended.

(v) All forfeited EMD/BG shall be deposited into a P. D. account of Govt. to be operated in such manner as Govt. notifies from time to time.

(vi) Persons to whom export entitlements are allotted but who do not utilise them fully would render themselves liable to disqualification from getting entitlement in future without prejudice to any other action that may be taken against them.

(vii) All applications for extension shall be submitted complete in all respects before the expiry of the validity of the original entitlement.

17. Appeal against Forfeiture of EMD/BG :

An exporter when aggrieved by an order of forfeiture by DG, AEPC under para 16(iv) above may appeal before the Textiles Commissioner, Bombay against such forfeiture within 15 days of receipt of such communication on forfeiture. The Textile Commissioner shall, upon receipt of the representation give a ruling as early as possible. While disposing appeals, he may take into consideration force majeure conditions. He may also take into consideration the promptness in surrendering the unutilised entitlements during the validity of the entitlement. For this purpose the Textiles Commissioner shall mean and include such other officers as designated by him.

18. Clearance by Customs

(a) Products under restraint including items not subect to specific limits in USA :—

Shipments will be allowed by Customs Authorities at the port of shipments after verifying the certification of export entitlement on the original and duplicate of shipping bills for individual consignments issued by the AEPC.

(b) Handloom Garments :—

In so far as exports to all handloom garments except tailored Collar Shirts corresponding to restrained items in Canada, Cotton handloom garments to Austria, special quantities reserved for handloom garments in some of the restrained categories to USA, EEC, Norway, Finland shipments will be permitted by the Customs on the basis of Inspection Endorsement by the Textile Committee in part 2 of the combination form.

(c) Garments falling under India items :—

In respect of India items which are traditional folklore handicraft textile products of India, shipments will be permitted by the Customs for exports to EEC, USA, Finland, Austria, Sweden, Norway, and Canada on the basis of appropriate certificates issued by the office of the Development commissioner (Handicrafts).

19. (a) Export Certificate, Certificate of Origin and visa :—

The following certificates required under the relevant bilateral textile agreements will be issued by AEPC or any other agency duly authorised in this behalf :—

(1) (a) Export Certificates and Certificate of origin for all garment/knitwear items under restraint.

(b) Certificates of Origin for all non-restrained garments/knitwear items.

(2) Finland—Export Certificates for restrained items.

(3) Sweden—Export Certificates for restrained items.

(4) Austria—Export Certificates for garments subject to restraint or surveillance.

(5) Norway—Export Certificates and certificate of origin in respect of categories subject to specific limits.

(6) Canada—Export Certificate for garment of knitted, powerloom and mill-made origin are subject to restraint except for consignments valued at Canadian $ 500 or less.

(7) U.S.A.—Visa for all garment|knitwear consignments valued over US $ 250.

(b) Handloom Certificate—

In the case of export of all handloom garments except Tailored Collar Shirts corresponding to restrained items to Canada, cotton handloom garments to Austria and special quantities reserved for Handloom Garments in some of the restrained categories to EEC, Norway and Finland the Textile Committee will issue the certificate as prescribed in the Bilateral Agreements for such products.

20. Government reserves the right to make amendments to any of the foregoing provisions without giving prior notice.

21. The addresses of the concerned Export Promotion Councils and the offices of the Textile Commissioner, Textile Committee and Development Commissioner (Handicrafts) are as follows :

1. The Apparel Export Promotion Council, Sahyog Building, 4th Floor, 58, Nehru Place, New Delhi-110019.
2. The wool and woollen Export Promotion Council, 612|714, Ashoka Estate, 24 Barakhamba Road, New Delhi.
3. Office of the Textile Commissioner, New CGO Complex, New Marine Lines, (Post Box No. 11500) Bombay 400020 Telephone No. 291229, 291050, Telex No. 011-2425 TXIND.
4. Textile Committee "Crystal" 79, Dr. Anne Besant Road. Bombay-400018.
5. Development Commissioner (Handicrafts) West Block-VII R. K. Puram, New Delhi-110066

P. SHANKAR, Jt. Secy.

2353 GI/90

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990